गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग(QMC) एवं नवसृजित जाँच एवं गुण नियत्रंण प्रयोगशाला/ प्रमंडल/अंचल के संचालन विषय पर दिनांक 01.02.2025 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. डॉ बी0 राजेन्दर, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
2. श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
3. श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग
4. श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा
5. श्रीमती अरूणा कुमारी, अधीक्षण अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय पुर्नगठन के फलस्वरूप गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग(QMC) एवं नवसृजित जाँच एवं गुण नियत्रंण प्रयोगशाला/प्रमंडल/अंचल की कार्यशैली एवं इसकी वर्त्तमान संरचना से अवगत कराया गया।

i. विभागीय संकल्प 1360 दिनांक 24.06.2016 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत राज्य संपोषित योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय सचिव के अध्यक्षता में गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य अभियंता(मुख्यालय) के साथ एक अधीक्षण अभियंता, तीन कार्यपालक अभियंता एवं छः सहायक अभियंता प्रतिनियुक्त रहने का प्रावधान है । वर्त्तमान में एक अधीक्षण अभियंता एवं एक सहायक अभियंता पदस्थापित है।

ii. राज्य संपोषित योजनाओं के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता जाँच प्रणाली अपनाई गयी है। इसके अधीन प्रथम स्तर पर PIU द्वारा गुण नियंत्रण कार्य किया जाता है। द्वितीय स्तर पर निरीक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग से प्राप्त स्वतंत्र अभियंता(IE) Graduate Civil Engineer with three year experience को प्रत्येक दो कार्य प्रमंडल पर एक अर्थात् 54 की संख्या

में एवं तृतीय स्तर पर सेवानिवृत वरीय अभियंता अर्थात् प्रधान गुणवत्ता अनुश्रवक (PQM) कुल 54 की संख्या में विभाग द्वारा Empanelled कर योजनाओं का गुणवत्ता जांच कराये जाने का प्रावधान निहित है

iii. विभागीय संकल्प 5018 दिनांक 18.09.2019 द्वारा द्वितीय स्तर पर गुणवत्ता जाँच हेतु पूर्व से स्वीकृत 54 स्वतंत्र अभियंता की संख्या को कुल 108 अर्थात् प्रत्येक कार्य प्रमंडल पर एक स्वतंत्र अभियंता(IE) Deploy किये जाने का प्रावधान है। वर्त्तमान में द्वितीय स्तर पर आउटसोर्सिंग से स्वतंत्र अभियंता के आपूर्ति की प्रक्रिया कतिपय कारणवश अवरूद्ध है, जिसके कारण द्वितीय स्तर गुणवत्ता जाँच प्रणाली क्रियाशील नहीं है एवं तृतीय स्तर पर 54 के विरूद्ध मात्र 12 प्रधान गुणवत्ता अनुश्रवक गुणवत्ता जांच हेतु अधिकृत है, जिनसे कार्य प्रमंडल में योजनाओं का निरीक्षण/परिवाद की जाँच कराया जाता है।

iv. त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रणाली अंतर्गत निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु द्वितीय स्तर को यथाशीघ्र क्रियाशील बनाए जाने की आवश्यकता है साथ ही अनुश्रवण को प्रभावकारी बनाए जाने हेतु गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग अंतर्गत पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की आवश्यकता है।

v. राज्य संपोषित योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पुर्नगठन के फलस्वरूप एवं ग्रामीण पथ सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत पथों में प्रावधानित नये अवयव/घटक के अनुरूप गुणवत्ता जाँच हेतु SQMS Software के अंतर्गत पूर्व से क्रियाशील Observation Format को अनुकरणीय बनाये जाने का निदेश है।

vi. विगत कई वर्षों से कार्य प्रमंडल स्तर पर ATR का निराकरण नहीं कराये जाने के कारण लंबित हैं इस संबंध में कई बार निदेश दिया जा चुका है। विदित है कि इनमें से कई पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण से बाहर है अथवा अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत है या कार्य कराया जा रहा है। लेकिन ATR का निराकरण अबतक नहीं कराया गया, जो अत्यंत गंभीर विषय है।

vii. विभागीय पुर्नगठन के फलस्वरूप नवसृजित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल कार्यालय, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल कार्यालय एवं जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

कार्यालय के सफल संचालन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में शीघ्र कार्यालय भवन स्थापित करने/अथवा निकटतम Polytechnic College अथवा अभियंत्रण महाविद्यालय से Collaboration/ tie-up कर कार्य प्रमंडल से प्राप्त Quality Testing Equipments को स्थापित किये जाने का निदेश है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

6.2.2025

(डॉ बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 531

पटना/दिनांक 07/2/25

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/ विशेष सचिव/संयुक्त सचिव–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा/मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुरक्षण एवं उन्नयन/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता /सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल एवं जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, अंचल/सभी नोडल पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल एवं जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रमंडल/ सभी सहायक अभियंता, जांच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.2025

(डॉ बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव